

अराजकीय संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की प्रस्तोत्रता

प्रतिलिपि सं० आई/न १/७६-२२९। शि० दिनांक १८ अक्टूबर, १९७६

(विद्यारथ ग्रन्थ का पुरक दिनांक १६ फरवरी, १९७७)

विषय :—अराजकीय संस्कृत शिक्षण संस्थाओं की प्रस्तोत्रता

संकल्प संख्या आई/ज २-०१/७४-शि० १००३, दिनांक २७ नवम्बर, १९७५

संस्कृत विद्यालयों की स्वीकृति की शर्तें निर्धारित नहीं रहने के कारण

भवन, शिक्षण उपस्कर आदि की अपेक्षित संख्या निर्धारित नहीं रहने के कारण ऐसे विद्यालय भी सम्बद्धता प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, जो वस्तुतः संगठित एवं विकासशील नहीं हैं । प्रकार्त : शिक्षण के स्तर एवं विद्यालय की व्यवस्था पर इसका प्रतीकृत असर पड़ा है ।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इस पर गम्भीरतापूर्वक प्रदान करने हेतु निम्नांकित शर्तें निर्धारित की हैं :—

संस्कृत विद्यालय के लिए प्रस्तोत्रता

१. प्राचीमिक संस्कृत विद्यालय (प्रथम वर्ग से पठन वाले तक)

प्रतिबन्ध संख्या (१) — विद्यालय भवन तथा भूमि—

(क) ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम-से-कम दो कट्ठा और शहरी क्षेत्र के लिए एक कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम से निर्बन्धित होनी चाहिए ।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम दो प्रकोष्ठों का भवन होना चाहिए ।

प्रतिबन्ध संख्या (२) — विद्यालय के पास कुसी, टेबुल आदि आवश्यक उपकरण होना चाहिए है ।

प्रतिबन्ध संख्या (३) — (क) विद्यालय में कम-से-कम दो यिक्षक होने जिनमें एक प्रधानाध्यापक एवं एक सहायक अध्यापक होंगे । प्रधानाध्यापक के लिए न्यूनतम योग्यता, आगुवं विज्ञान छोड़कर संस्कृत विषय में किसी एक शास्त्र में शास्त्री की होगी और सहायक अध्यापक की योग्यता आधुनिक विषयों के साथ मध्यम या तत्समक्ष परीक्षा होगी ।

(ख) विद्यालय में आत्मों के न्यूनतम संख्या तीस होगी । आत्म संख्या में वृद्धि होने पर आवश्यकता नहीं रही है । उक्त योग्यता के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान उन्हें दिया जाएगा ।

२. विद्यालय (संस्कृत-अध्यापक वर्ग)

प्रतिबन्ध संख्या (१) — विद्यालय भवन और भूमि—

(क) ग्रामीण क्षेत्र में कम-से-कम पांच कट्ठा और शहरी क्षेत्र में दो कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम से निवन्धित होनी चाहिए ।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम चार प्रकोष्ठों का भवन होना चाहिए ।
प्रतिबन्ध संख्या (२) — आवश्यकता नुसार कुसी, टेबुल, बैच आदि उपकरण का होना चाहिए है ।

प्रतिबन्ध संख्या (३) — (क) विद्यालय में कम-से-कम चार यिक्षक होने जिनमें संस्कृत विषय के एक शास्त्री परीक्षातीर्ण प्रधानाध्यापक होने और शेष तीन सहायक अध्यापक होने । एक आदेशपाल होगा ।

ग्रामीण संस्कृत विद्यालय (३) — (क) विद्यालय में कम-से-कम चार यिक्षक होना चाहिए । शेष दो यिक्षक आधुनिक विषय के साथ मध्यमा परीक्षातीर्ण होने जिनमें एक गणित विषय लेकर मध्यमा या तत्समक्ष परीक्षातीर्ण होगा ।

(ख) विद्यालय में छात्रों की न्यूनतम संख्या चालोस होगी । छात्र संख्या में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार यिक्षकों की संख्या बढ़ायी जा सकती है ।

इस विद्यालय में प्रथमा वर्ग के अतिरिक्त पंचम और पठन वर्ग की भी पढ़ाई होगी । उक्त योग्यता के यिक्षकों और आवश्यकता के लिए सरकार द्वारा संवीकृत वेतनमान उन्हें दिया जाएगा ।

३. माध्यमिक संस्कृत विद्यालय (नवम-दशम वर्ग)

प्रतिबन्ध संख्या (१) — विद्यालय भूमि एवं भवन —

(क) ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय भवन, बेल-कूद आदि के लिए कम-से-कम एक बीचा भूमि तथा शहरी क्षेत्र में दो कट्ठा भूमि विद्यालय के नाम निर्बन्धित होनी चाहिए जहाँ विद्यालय भवन अवस्थित होगा ।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम छः प्रकोष्ठों का ईट का बना अपना भवन होना चाहिए ।

प्रकोष्ठों का आकार निम्नांकित होगा :—

(१) 14×10 का प्रकोष्ठ — दो

कार्यालय एवं पुस्तकालय के लिए ।

(२) 18×12 का प्रकोष्ठ — चार

वर्ग कार्य के लिए ।

(ग) कार्यालय, पुस्तकालय और वर्ग कार्य के लिए बांझत उपरकरों का होना आवश्यक है ।

प्रतिबन्ध संख्या (२) — विद्यालय को एक पुस्तकालय होना अनिवार्य होगा । पुस्तकालय में कम-से-कम एक हजार रुपये की पुस्तकें होंगी जिनमें पाठ्यग्रंथ और छात्रोंपायी गुरुत्वक आवश्यक होंगी ।

प्रतिबन्ध संख्या (३) — आकारिमिक आवश्यकता के लिए प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के संयुक्त नाम से सार्वजनिक खाते में कम-से-कम एक हजार रुपये बैंक में जमा रहेंगे ।

प्रतिबन्ध संख्या (4)—(क) नये विद्यालयों की प्रस्तुति की यह एक आवश्यक

शर्त होगी कि विद्यालय प्रबन्ध समिति के पास रकम सप्रमाण ही जिससे बिना राजकीय अनुदान के भी कम-से-कम तीन वर्षों तक विद्यालय को चलाया जा सके।

तीन वर्षों की छात संख्या, परीक्षाफल और संचालन की प्रगति देखकर ही

राजकीय अनुदान देने पर विचार किया जाएगा।

(ब) विद्यालय प्रबन्ध समिति में कम-से-कम एक सरकारी पदाधिकारी का होना आवश्यक होगा और प्रत्येक तीन वर्ष पर प्रबन्ध समिति का पुनः संगठन हुआ करेगा।

(ग) विद्यालय की प्रस्तुति द्वारा समिति के द्वारा संगठित एक उप समिति होगी जिसमें विहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर सिंह दरभाना संस्कृत विष्वविद्यालय के द्वारा प्रतिनियोजित एक विशेषज्ञ रहेगा।

प्रतिबन्ध लंब्या (5)—स्थायी नियुक्तियों के लिए योग्यता, वेतनमान, पद आदि के विवरण के साथ राज्य के किसी प्रसिद्ध समाचारपत्र में विज्ञापन होनी आवश्यक होगा। प्रार्थिमिकों के कम में तीन नाम नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति, विहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर सिंह दरभाना संस्कृत विद्यालय के पास भेजेगा। वहाँ से अनुमोदन के बाद ही नियुक्ति पक्की समझी जाएगी। प्रस्ताव के माध्य प्राप्त आवेदन पत्र, विज्ञापन की कोटि, प्रार्थियों की योग्यता विवरणी भी भेजना आवश्यक होगा।

प्रतिबन्ध संख्या (6)—शहरी भेत्र एवं घनी आबादी के ग्रामीण भेत्र को छोड़कर पांच मील के भीतर दो माध्यमिक संस्कृत विद्यालय की प्रस्तुति नहीं दी जाएगी।

प्रतिबन्ध संख्या (7)—विद्यालय में पढ़नेवाले छात्रों की चूनतम संख्या साठ दो होगी और उपस्थिति सत्रर प्रतिशत आवश्यक होगी।

प्रतिबन्ध संख्या (8)—विद्यालय में वर्ग कार्य एवं पाठ्य विषयों की ध्यान में रखते हुए प्रधानाध्यापक को छोड़कर सामान्यतः शिक्षकों का संख्या छः होगी। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की योग्यता निम्नांकित होगी :—

(क) प्रधानाध्यापक—इस पद के लिए प्रार्थियों को संस्कृत विद्यालय में पढ़ाये जानेवाले संस्कृत विषयों में से (आयुर्वेद को छोड़कर) किसी एक विषय में आचार्य परीक्षा में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना तथा किसी माध्यमिक स्तर के विद्यालय में कम-से-कम दो वर्षों का शोक्षणिक अनुभव होना आवश्यक ही होगा। विषय प्राप्ति समाप्ति सम्बन्धी विशेषानुभव प्राप्ति विद्यालयों के लिए विशेष विचार किया जा सकता है।

(ब) सहायक विषयक—संस्कृत विषयों को ध्यान में रखी जाएगी अनुभवी शिक्षकों की संख्या तीन होगी।

(ग) आधुनिक विषयों को ध्यान में रखते हुए अनुभवी स्नातक शिक्षकों की संख्या तीन होगी।

(घ) शिक्षकेतर कर्मचारी—विद्यालय में एक लिंगिक होगा जो आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समक्ष परीक्षोत्तीर्ण होगा।

(ङ) आदेशपात्र (साक्षर)—एक।

इन विद्यालयों के विषयों और कर्मचारियों को राज्य सरकार हारा निर्धारित वेतनमान दिया जाएगा।

अन्युकृति—नये विद्यालयों को प्रस्तुति दी जाने का यह तात्पर्य कदाचित् प्रगति देखने के बाद इस बात की जावेटा की जाएगी कि उन्हें अनुदान प्राप्त हो किन्तु यह राज्य की वित्तीय स्थिति पर ही सम्भव होगा।

4. उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय (एकावश एवं द्वावश वर्ग)

प्रतिबन्ध संख्या (1)—विद्यालय भवन और भूमि—

(क) देहाती भेत्र में विद्यालय भवन, लेल-कूद आदि के लिए कम-से-कम एक एकड़ एवं शहरी भेत्र में कम-से-कम दस कर्डा भूमि विद्यालय के नाम सम्बन्धित होना चाहिए जहाँ विद्यालय अवस्थित होगा।

(ख) विद्यालय को कम-से-कम सात प्रकोष्ठों का अपना ईंट का भवन होना चाहिए। प्रकोष्ठों का आकार निम्नांकित होगा :—

1. 14×10 का दो प्रकोष्ठ (कार्यालय एवं प्रस्तरालय के लिए)
2. 18×12 का चार प्रकोष्ठ (वर्ग कार्य के लिए)

(ग) कार्यालय, पुस्तकालय और वर्ग कार्य के लिए वांछित उपरकर का होना आवश्यक है।

प्रतिबन्ध संख्या (2)—पुस्तकालय में कम-से-कम पञ्च ही रुपये की पुस्तकें चाहिए जिनमें पाठ्यक्रम और छात्रोपयोगी पुस्तकें अवश्य रहें।

प्रतिबन्ध संख्या (3)—आकास्मिक आवश्यकता के लिए प्रधानाधार्य और विद्यालय के सचिव के संयुक्त नामों से सावेचनिक बातें में कम-से-कम दो हजार रुपये होने चाहिए।

प्रतिबन्ध संख्या (4)—(क) नये प्रस्तुति के पास इतनी रकम सप्रमाण होनी चाहिए जिससे बिना राजकीय अनुदान देने पर विचार किया जाएगा। माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में प्रोफेसर होनेवाले विद्यालयों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।

(ब) विद्यालय प्रबन्ध समिति में कम-से-कम एक सरकारी पदाधिकारी का होना आवश्यक होगा ।

(ग) नए विद्यालय को प्रस्तुति दी जाने के पूर्व, अध्यापकों की अस्थायी नियुक्ति के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति के द्वारा समर्तिन एक उप समिति होगी जिसमें बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर मिह दरभगा संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रतिनियोजित एक विषेषज्ञ होगा ।

प्रतिबन्ध संख्या (5)—शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियों के लिए योग्यता, वेतनमान, पद और अदि के लिए रणनीति के साथ राज्य के किसी प्रसिद्ध समाचार-पत्र में लिखकर देना आवश्यक होगा । विद्यालय के कम से तीन नाम नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव के साथ प्रबन्ध समिति, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद्/कामेश्वर मिह दरभगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पास भेजेगी । वहाँ से अनुमतिन के बाद ही नियुक्ति पक्की समझी जाएगी । प्रस्ताव के साथ प्राप्त आवेदन-पत्र, विज्ञापन किटिंग, प्रायियों की योग्यता विवरणों भी भेजना आवश्यक होगा ।

प्रतिबन्ध संख्या (6)—शहरी क्षेत्र एवं नई आवादी के ग्रामीण क्षेत्र को वेतनमान, पौचं सील के भीतर दो उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों को प्रस्तुति नहीं दी जाएगी ।

प्रतिबन्ध संख्या (7)—विद्यालय में पढ़नेवालों आवादों की न्यूनतम संख्या साठ होगी और उपस्थिति सत्र प्रतिशत आवश्यक होगी ।

प्रतिबन्ध संख्या (8)—विद्यालय में वर्ग कार्य एवं पाठ्य विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रधानाचार्य महित शिक्षकों की कुल संख्या आठ (आठ) होगी ।

(क) प्रधानाचार्य को विद्यालय में पढ़ाए जानेवाले संस्कृत विषयों में आमुख्य श्रेणी में ऊड़कर किसी एक विषय में आचार्य परीक्षा में न्यूनतम द्वितीय कम-से-कम सात वर्षों का शैक्षणिक अनुभव होना आवश्यक होगा । शिक्षण एवं प्रशासन सम्बन्धी विषेषज्ञता प्राप्त विद्वानों के लिए विशेष विचार किया जा सकता है ।

(ख) साहित्यिक शिक्षक—संस्कृत के विषय को ध्यान में रखते हुए अनुभवी स्नातक शिक्षक होने और एक अनुभवी एम० ए० उत्तीर्ण शिक्षक होगा ।

शिक्षकेतर कम्बंचारी—

(ग) लिपिक-सह-टंकक—(आधुनिक विषयों के साथ प्रबन्धना या तत्त्वमुक्त परिक्षोत्तरी) ।

(घ) अदेशमाल (साक्षर) ।

(ङ) रात्रि प्रहरी (साक्षर) ।

इस स्तर के विद्यालयों के शिक्षक और कम्बंचारियों को राज्य-सरकार के हारा नियमित बेतनमान दिया जाएगा ।

अध्युक्ति—नए विद्यालयों को प्रस्तुति दी जाने का यह तात्पर्य कदाचि

नहीं होगा कि उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त हो जाए । विद्यालय की संतोषजनक प्रगति देखने के बाद ही इस बात की चेता की जाएगी कि उन्हें अनुदान हो कितू यह राज्य की वित्तीय स्थिति पर ही निर्भर करेगा ।

माध्यमिक स्तर के पूर्व प्रवर्चकृत जो संस्कृत विद्यालय उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में शोक्त किए जाएंगे वे अपेक्षित राजकीय अनुदान के अधिकारी होंगे ।

5. संस्कृत महाविद्यालय-शास्त्री (तीन वर्ष)

प्रतिबन्ध संख्या (1)—महाविद्यालय भवन और भूमि—

(क) ग्रामीण क्षेत्र में कम-से-कम दो एकड़ भूमि (दो ल्कांठ में) तथा शहरी क्षेत्र में एक एकड़ भूमि महाविद्यालय के नाम निर्बन्धित होनी चाहिए जहाँ महाविद्यालय अवस्थित होगा ।

(ब) महाविद्यालय को आठ प्रकाळिनों का पक्का भवन होना आवश्यक होगा ।

प्रतिबन्ध संख्या (2)—महाविद्यालय के कोष में कम-से-कम सात हजार रुपये की पुस्तकें अनिवार्य रूप से हों जिनमें पाठ्यपत्र और आत्मोपयोगी पुस्तकें अवश्य रहें ।

प्रतिबन्ध संख्या (4)—प्रस्तुति के पूर्व महाविद्यालय का निरीक्षण युल्क चार से रुपये होगा ।

प्रतिबन्ध संख्या (5)—सम्बद्धता युल्क दो हजार रुपये होगा ।
(क) प्रधानाचार्य 1—महाविद्यालय में प्रधानाचार्य सहित दस शिक्षक होंगे । किसी एक विषय में उच्चतर महाविद्यालय में संस्कृत में से कम-से-कम उच्चतर माध्यमिक स्तर तक संस्कृत शिक्षण का दस वर्षों का अनुभव अथवा कम-से-कम किसी स्वीकृत उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय में पाठ्य वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक है ।

(ख) प्रधानाचार्य—महाविद्यालय में पढ़ाए जानेवाले संस्कृत विषयों में कम-से-कम द्वितीय श्रेणी में आचार्य परीक्षोत्तरी के दो, व्याकरण के दो और ग्राम-स्त्र व्यवस्थानुसार दो । कुल छ: संस्कृत के प्रभारी होंगे ।
(ग) अंगेजी, हिन्दी और संस्कृत के एक-एक एम० ए० तथा आधुनिक विषयों के व्यवस्थानुसार एक एम० ए० (न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण) कुल चार प्राक्षापक आधुनिक विषयों के होंगे ।

विषयालेतर कमंचारी—

(क) लिपिक—१. (आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समक्ष परिभ्रोतीणि)

(ख) टंकक—१. (आधुनिक विषयों के साथ मध्यमा या तत्समक्ष परिभ्रोतीणि)

(ग) आदेशपात्र—१. साक्षर।

(घ) राति प्रहरी—१. (साक्षर)।

भूमि और कोष को छोड़कर अन्य सभी प्रतिबन्ध पूर्व प्रस्वीकृत महाविद्यालयों के लिए भी अनिवार्य होगे।

प्रतिबन्ध संलग्न (७)—छात्रों की न्यूनतम संख्या साठ होगा।

दिव्याणी—(१) उपर्युक्त शर्त को पूर्ति के साथ निम्नलिखित सूचना भेजना आवश्यक हैः—

(क) महाविद्यालय के नाम निबंधित भूमि के कागजातों की अधिप्रमाणित प्रतिलिपि।

(ख) कोष, संस्था तथा जिस बैंक या डाकघर में राशि संचित हो उसका पूर्ण विवरण पत्राचार के प्रता के साथ।

(ग) पुस्तक-मूची (मूल्य के साथ)

(घ) भवन का चक्षा एवं विवरण।

(2) निरोक्षण शुल्क, सम्बद्धता शुल्कः—

मान्यता की कार्यालय के पहले विषयविद्यालय के कोष में जमा करना होगा।

(3) सम्बद्धता शुल्क की अनुशांसा के उपरान्त निदेशानुसार तथा समक्ष विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा।

अराजकीय मदरसों के वर्गीकरण, उनकी प्रस्वीकृति की शर्तें और उनमें शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ का निर्धारण

सं० आई/अ-११-०८/७८—१०९०

शिक्षा विभाग

संकल्प

29 नवम्बर, १९८०

विषय—अराजकीय मदरसों के वर्गीकरण, उनकी प्रस्वीकृति की शर्तें और उनमें शिक्षण एवं शिक्षणेतर स्टाफ का निर्धारण।